

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

19
21

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 26/1726/08

जनपद टिहरी गढ़वाल में मसराना से किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन
की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

Photo GPT
Attested

ASSISTANT
सहायक अभियन्ता
उ० खण्ड लो० नि० वि०
थरुड (टि० ग०)

मार्च 2008

जनपद टिहरी गढ़वाल में मसराना से किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित
समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

22

अर्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग थत्यूड के अन्तर्गत 8.00 कि०मी० लम्बाई में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशारी अभियन्ता, अर्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग थत्यूड के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.1.2008 को संबधित सहायक अभियन्ता श्री दिनेश कुमार बिजलवाण एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का 8.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा एक ही समरेखन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन चम्बा-मसूरी मोटर मार्ग के कि०मी० 46 से हिल साईड में आरम्भ होता है। समरेखन की अधिकांश लम्बाई आरक्षित वन भूमि तथा सिविल सोयम भूमि से होकर गुजरती हैं। किमोई गांव होते हुये 8.00 कि०मी० लम्बाई पूर्ण कर समरेखन समाप्त होता है। समरेखन 1:24 के ग्रेड में तथा अंत में लेवल है। समरेखन में पांच हेयर पिन बैंड हैं, जो क्रमशः क्रॉससैक्शन 1/19, 2/3, 3/17, 3/38 तथा 4/13 में नियोजित किये गये हैं। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाइट, फिलाईट तथा लाईमस्टोन चट्टानें हैं। स्थान-स्थान पर इन चट्टानों के ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवरबर्डन है। इस क्षेत्र में सामान्यतः पहाड़ी ढलान 25° से 40° तक है परन्तु कहीं-कहीं चट्टानी भाग में ढलान अधिक तीव्र भी है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैंड न बनाया जाये।
 - (ग) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
 - (घ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को बचाते हुये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता, उत्पन्न न हो।
 - (ङ) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
 - (च) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
 - (छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये।
 - (ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

Photo GPR Attested

ASSISTANT ENGINEER
थत्यूड लोक निर्माण विभाग
थत्यूड (टि.ग.)

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-
- (i) मार्ग कटान के पश्चात् ढल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लारिंग की जाये।
5. मसाराना से किमोई मोटर मार्ग हेतु 8.00 किमी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- 1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विषिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्राक 7272/8(1)याता०-उ०/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
14.3.08
सूचक अभियन्ता
कार्पस मुख्य अभि स्तर-1
लो० नि० वि० उत्तरांचल
देहरादून

Photo GPR
Attested

ASSISTANT
P. S. THAKUR
अ० खण्ड लो० नि० वि०
थरुड (दि० ग०)